07/4/21 आज पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वादी के वाद का आशय:
रहा कि हाल आराजी खसरा नं० 188/0.31, 189/0.19, 190/0.19, 192/0.25,
193/0.24, 194/0.25, 195/0.47, 196/0.47, 197/0.46, 198/0.25,
199/0.03, 200/0.17, 201/0.11, 202/0.13, 203/0.19, 204/0.07,
205/0.27, 206/0.28, 207/0.33 हैक्टर का 1/4 भाग दर 1/3 हिस्सा
एवं 163/0.21 1410/162 रकबा 0.29 1413/164 रकबा 0.13 हैक्टर
का 1/3 भाग वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर
मौजिदा रिकार्ड मुताबिक मिन वादी, तरमीम प्रतिवादीया एवं प्रतिवादी नं० 1 की दादालाई
की पैतृक आराजी है जो वादी एवं तरमीम प्रतिवादी के दादा चन्द्र उर्फ
चन्द्रभान पुत्र मोहन के कब्जे काश्त की आराजी रही है एवं उनकी
फौती पर प्रतिवादी नं० 1 व मिन वादी के दादा के अन्य वारीसान
को जरिये विरासत प्राप्त हुई है व मिन वादी व तरमीम प्रतिवादीया का
प्रतिवादी नं० 1 के हिस्से में हक हकूक हिन्दू उत्तराधिकार
अधिनियम के तहत वाई वर्ग विहित है लेकिन प्रतिवादी नं० 1
के हिस्से में न 1/3, 1/3 भाग है तथा प्रतिवादी नं० 1 दीगर लोगों
के बहकावे में आकर बिना पारिवारिक आवश्यकता के
खानदानी आराजी को [illegible] चाहता है जबकि मिन
वादी के पास उक्त आराजी [illegible] अन्य कोई आराजी
जीविकोपार्जन के [illegible] है [illegible] मिन वादी के अधिकार

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	कायम करना रखित है क्योंकि - क्योंकि का विवेचन करते हुए वादपत्री के खिलाफ प्रतिवादीगण/ डिक्री इस प्रकार हक मय दुरुस्ती डिक्री किये जाने का निवेदन रहा। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी उपरान्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के कथन वादपत्र की लाईट में नकल जमाबन्दी सं० 2069-72 प्रदर्श-1 व 2 तथा नकल जमाबन्दी 2032-35 खितोनी प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी सं० 2041-44 प्रदर्श-4 एवं मौखिक साक्ष्य एवं मय शपथ-पत्र कर्मपाल PW-1 महेन्द्र कुमार PW-2 एवं महेन्द्र सिंह PW-3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई। उन्होंने बहस वकील वादी के वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए विवादित आराजी पैतृक आराजी होकर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यानुसार विवादित आराजीयात को वादी का साबित कर दिया जाना एवं इस हक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई वर्जन विधित होने की स्थिति में बाद वादी डिक्री किये जाने का अधिकथन किया। वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन उपरान्त एवं उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर विवादित आराजीयात ... वाद को यह न्यायालय स्वीकार करता है। **आदेश** उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के	

५९६

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38
Reason: SelfAttested

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल ख० नं० 188/0.31, 189/0.19, 190/0.19, 192/0.25, 193/0.24, 194/0.25, 195/0.47, 196/0.47, 197/0.46, 198/0.25, 199/0.03, 200/0.17, 201/0.11, 202/0.13, 203/0.19, 204/0.07, 205/0.27, 206/0.28, 207/0.33 हैक्टर वाके ग्राम कजीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/4 भाग दर 1/3 हिस्सा एवं हाल ख० नं० 163/0.21, 1410/162 रकबा 0.29, 1413/164 रकबा 0.13 हैक्टर वाके ग्राम कजीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/3 भाग के काश्त के वादी के वाद की डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त अराजी वादी एवं तदीकी प्रतिवादी की हद तक हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं० 1 के नाम को इन्द्राज किया जाकर वादी एवं तदीकी की खातेदारी को उक्तानुसार 1/3, 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी नं० 1 को इ० ई० स्वामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की कुल काश्तकारी कार्य में किसी भी प्रकार से मुदाखलत पैदा नहीं करे। तदानुसार पक्षों डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील जमा जिला रिकार्ड हो। लिखवाकर सही [illegible] सुनाया गया। 24/6	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 50/2017 दायरा दिनांक :–16.03.2017 पर्चा डिक्री दिनांक :– 07.04.2021

1. कर्मपाल पुत्र सत्यवीर जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0

..........वादी

बनाम

1. सत्यवीर पुत्र चन्दर उर्फ चन्द्रभान जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल लालावाली तहसील बानसूर (अलवर)
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
3. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..........प्रतिवादीगण

4. रेखा पुत्री सत्यवीर जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री मदनलाल सावरिया एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 07.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः–**

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल खसरा नम्बर 188/0.31, 189/0.19, 190/0.19, 192/0.25, 193/0.24, 194/0.25, 195/0.47, 196/0.47, 197/0.46, 198/0.25, 199/0.03, 200/0.17, 201/0.11, 202/0.13, 203/0.19, 204/0.07, 205/0.27, 206/0.28, 207/0.33 है0 वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/4 भाग दर 1/3 हिस्सा एवं हाल खसरा नम्बर 163/0.21, 1410/162 रकबा 0.29, 1413/164 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के 1/3 भाग के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त अनुसार वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की हद तक हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को हजफ किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी [illegible] के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं उक्तानुसार ही हाल राजस्व [illegible] अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को हु0ई0 दवामी [illegible] के कुल काश्तकारी कार्य में किसी भी प्रकार से मजाहमत [illegible] नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)